22.2.19 — उक्त पत्र उप०। बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली निर्णय दिनांक 25.2.19 को पेश हो।
(हस्ताक्षर)

25.2.19 — पत्रावली पेश हुई। वादी का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल रहे। पर्चा डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो।

आदेश सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
...कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः प्रकाश राजपुरोहित आर ए एस

वाद सं. 13/2019

नरेन्द्रवीर सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह, जाति जट सिख, निवासी हिरणावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ

-वादी

बनाम

1. सरजीत सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, जाति जट सिख, निवासी हिरणावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ
2. मनप्रीत कौर | पुत्रियां सरजीत सिंह जाति जट सिख, निवासी
3. बलजीत कौर | हिरणावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ

-प्रतिवादीगण

उपस्थितः

1. श्री अनिल कुमार शर्मा-अधिवक्ता-वादी
2. श्री प्रदीप मोहन भाटी-अधिवक्ता-प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-:निर्णयः-

दिनांकः 25.2.2019

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 18 एलएलडब्ल्यू-बी खाता संख्या 63/64 के प नं. 93/218 (27) कि नं. 14, 15, 16, 17, 25, प नं. 95/225 (30) कि नं. 10, 11, 20 कुल 2.277 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि के अलावा चक 19 एलएलडब्ल्यू में अन्य भूमि भी प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 में घरेलू समझौता अनुसार वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित भूमि में से 1/2 हिस्सा 1.138 हैक्टेयर भूमि वादी को प्राप्त है एवं इस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है, पेश कर निवेदन किया कि वादी को खातेदार-काश्तकार घोषित किया जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये जो बाद समन हाजिर अदालत आकर प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक वाद वादी डिक्री किया जाता है तो कोई उज्र एतराज नहीं है। बहस वादी एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता की सुनी गई जिसमें दौराने बहस वादी एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वाद वादी के अनुसार व जवाब इकबाल के अनुसार डिक्री फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि पत्रावली में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब इकबाल प्रस्तुत किया जा चुका है जिसके अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई उज्र एतराज नहीं है इसलिए मुताबिक वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता हूं।

-:आदेश:-

अतः वाद स्वीकार किया जाकर वादी को वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णितानुसार 18 एलएलडब्ल्यू-बी खाता संख्या 63/64 के प नं. 93/218 (27) कि नं. 14, 15, 16, 17, 25, प नं. 95/225 (30) कि नं. 10, 11, 20 कुल 2.277 हैक्टेयर के 1/2 हिस्सा यानी 1.138 हैक्टेयर हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार-काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि उक्त भूमि पर बैंक रहन है तो ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमलदरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.2.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र सिंह राजपुरोहित आर. ए. एस.

वाद संख्या : 13/2019

नरेन्द्रवीर सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह, जाति जट सिख, निवासी हिरणावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ

-वादी

बनाम

1. सरजीत सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, जाति जट सिख, निवासी हिरणावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ
2. मनप्रीत कौर
3. बलजीत कौर

पुत्रियां सरजीत सिंह जाति जट सिख, निवासी हिरणावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ

4. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर. ए. एस. के समक्ष अभिभाषक वादी-श्री अनिल कुमार शर्मा की उपस्थिति में निर्णिणार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक डिक्री किया जाकर वादी को वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णितानुसार 18 एलएलडब्ल्यू-बी खाता संख्या 63/64 के प नं. 93/218 (27) कि नं. 14, 15, 16, 17, 25, प नं. 95/225 (30) कि नं. 10, 11, 20 कुल 2.277 हैक्टेयर के 1/2 हिस्सा यानी 1.138 हैक्टेयर हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार-काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि उक्त भूमि पर बैंक रहन है तो ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमलदरामद किया जावे।

आज दिनांक 25.2.19 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षरों एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner